# मध्यप्रदेश विधान सभा

अक्टूबर-दिसम्बर, 2000 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 4 दिसम्बर, 2000 (अग्रहायण 13,1922)

**समय 10.30 बजे दिन**

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथक्तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 38 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम की 45 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1999-2000 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री नरेन्द्र नाहटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम भोपाल का 37 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-1999 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री हुकुमसिंह कराड़ा, खनिज साधन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का 33 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96 पटल पर रखेंगे.

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. कल्पना परूलेकर, सर्वश्री सुनील उर्फ डॉ.सुनीलम्, मुन्ना सिंह, सदस्य, राज्य शासन द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को सेवा से पृथक किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, डॉ. सीतासरन शर्मा, श्री अजय विश्नोई, सदस्य, इंदौर नगर में दिन दहाड़े हुई हत्याओं की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

### 4. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण विधेयक, 2000 (क्र. 38 सन् 2000) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री हुकुमसिंह कराड़ा, ऊर्जा मंत्री, द्वारा किये गये प्रस्ताव पर कि मध्यप्रदेश विद्युत सुधार विधेयक, 2000 (क्रमांक 30 सन् 2000) पर विचार किया जाय - चर्चा का पुनर्ग्रहण.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

3 घन्टे

(3) डॉ. विजयलक्ष्मी साधो, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगी कि मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् विधेयक, 2000 (क्रमांक 31 सन् 2000) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पारित किया जाय.

भोपाल :
दिनांक : 2 दिसम्बर, 2000

**के.पी. तिवारी**
**सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा.**